न्यायालयः– न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, जायल
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जायल, जिला नागौर)

पीठासीन अधिकारी – **लक्ष्मण राम बिश्नोई,**(RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

याचिका संख्या – 13/2025

प्रार्थी संख्या 01– सुरेश प्रजापत पुत्र हरीराम, उम्र–31 साल, निवासी कुम्हारों का बास, गेमलियावास, तहसील डेगाना, जिला नागौर

प्रार्थी संख्या 02– गुड्डी प्रजापत पत्नी सुरेश प्रजापत पुत्री धन्नाराम, उम्र–26 साल, निवासी कुम्हारों का बास, गेमलियावास, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल निवासी बुगरड़ा तहसील जायल, जिला नागौर **–प्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13(बी) हिंदू विवाह अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री बस्तीराम ढ़ाका, न्यायमित्र प्रार्थी संख्या 01 की ओर से
2. श्री इंद्र सिंह राठौड़, न्यायमित्र प्रार्थी संख्या 02 की ओर से

–ः आदेश ः– **दिनांकः– 12.03.2026**

01– इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम दिनांकित 04.04.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

02– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 05.02.2013 को हिंदू रीति–रिवाजानुसार प्रार्थिया संख्या 02 के पिता के घर सम्पन्न हुआ किंतु कुछ समय बाद प्रार्थीगण के मध्य आपस में गंभीर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए तथा प्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थिया के साथ आए दिन मारपीट करना व मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया, जिस बाबत् एक मुकदमा भी जायल न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीगण करीब 7 वर्षों से ज्यादा समय से अलग–अलग निवास कर रहे है, जिसके कारण प्रार्थीगण के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो सके एवं दोनों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ गया। प्रार्थीगण के परिजनों ने मिल बैठकर सामाजिक रूप से प्रार्थिया की तरफ से फौजदारी प्रकरण में राजीनामा पेश कर दिया व विवाह विच्छेद की लिखापढ़ी कर नोटेरी से तस्दीक करवा ली है एवं आपसी समझाईश से पति–पत्नी का रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया है। प्रार्थीगण का पति–पत्नी के रूप में एक साथ रहना संभव नहीं हुआ और इसी क्रम में 7 वर्ष पूर्व से प्रार्थीगण दाम्पत्य जीवन से अलग हो गए व प्रार्थिया ने अपने पीहर में निवास करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थीगण ने एक–दूसरे को 7 वर्ष से अधिक समय से

अभित्यक्त कर रखा है। इस अवधि में प्रार्थीगण के परिजनों, रिश्तेदारों व समाज के मौजीज व्यक्तियों ने प्रार्थीगण के मध्य वैवाहिक संबंध पुनः बन जाने के लिए भरसक प्रयास किए किंतु सभी प्रयास विफल हो गए और प्रार्थीगण के मध्य वैवाहिक संबंध पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं हुआ। याचीगण के सहवास से एक पुत्र हिमांशु है, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, जो प्रार्थी संख्या 01 के पास ही रहेगा, जिसके लालन–पालन, भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा तथा उसके समस्त प्रकार के खर्चे को वहन करने की जिम्मेदारी जरिये लिखापढ़ी के ली है। प्रार्थिया ने अपने समस्त जेवरात, कपड़े व अन्य सामान संपूर्ण प्राप्त कर लिये है। प्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकर का लेन–देन शेष नहीं रहा है एवं प्रार्थिया ने अपने भरण पोषण व स्थायी निर्वाह भत्ता हेतु एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली है। प्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार की दुर्भिसंधि नहीं है। अंत में हेतुक उत्पन्न होना कथित कर याचिका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होना कथित कर याचिका स्वीकार की जाकर आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थीगण के मध्य हुए विवाह बाबत् विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

03– याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने पर उनके मध्य समझौता वार्ता करवाने पर भी पक्षकारान एक–दूसरे के साथ बतौर पति–पत्नी रहने को सहमत नहीं हुए। दोनों पक्षकारान में राजीनामा होना संभव प्रतीत नहीं होता है। पक्षकारान समझौता वार्ता के बावजूद बतौर पति–पत्नी साथ रहने को सहमत नहीं होने के कारण समझौता वार्ता विफल रही। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात 06 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है।

04– याचिका के समर्थन में साक्ष्य के दौरान एडब्ल्यू 01 सुरेश व एडब्ल्यू 02 गुड्डी द्वारा स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–1 ए व 3 ए, असल लिखापढ़ी प्रदर्श–2 ए व 4 ए एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 प्रदर्शित करवाये गए।

05– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

06– हस्तगत प्रकरण में याचिका में न्यायालय को यह निर्णित करना है कि–

- क्या पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर, पक्षकारान के मध्य दिनांक 05.02.2013 को संपन्न हुए विवाह को आपसी सहमति के आधार पर विघटित कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना उचित है ?

07– इस संबंध में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 05.02.2013 को संपन्न हुआ। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त अभिवचनों की संपुष्टि दोनों प्रार्थीगण ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में की है, जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कार्यालय ग्राम पंचायत बुगरड़ा के प्रशासक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रदर्श–5 से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थीगण सुरेश व गुड्डी की शादी दिनांक 05.02.2013 को संपन्न हुई तथा उक्त दोनों प्रार्थीगण विधिक रूप से विवाहित पति–पत्नी है।

08– प्रार्थीगण ने शपथ पत्र में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण के मध्य आपसी गंभीर वैचारिक मतभेद व मनमुटाव होने के कारण दोनों पक्षों का साथ रहना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। याचिका प्रस्तुत करने से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से प्रार्थीगण द्वारा अलग–अलग निवास किया जा रहा है। प्रार्थीगण सुरेश व गुड्डी की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य आपस में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो गए है एवं दोनों अलग–अलग निवास कर रहे हैं। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से विवाह विघटित करने बाबत् विवाह विच्छेद की लिखापढ़ी प्रदर्श–2ए व 4ए भी निष्पादित की गई है। दोनों विवाह–विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने हेतु दृढ़ संकल्प है, जिनके द्वारा विवाह होने के लगभग बारह वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उभयपक्षकारान की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अब उनका साथ–साथ रहना संभव नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण की साक्ष्य व अभिवचनों के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि पक्षकारान ने यह प्रार्थना पत्र किसी छलकपट या दुर्भिसंधि से पेश किया हो। इस प्रकार प्रार्थीगण के मध्य दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होने तथा दोनों के आपसी गंभीर वैचारिक मतभेद होने से आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया जाना प्रकट होता है। फलतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य पायी जाती है।

09– अतः विद्यमान तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर इस न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण के मध्य अनुष्ठापित विवाह दिनांक 05.02.2013 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रार्थना पत्र बाबत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 स्वीकार कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

–ः <u>आदेश</u> ः–

10– अतः प्रार्थी संख्या–01 सुरेश प्रजापत पुत्र हरीराम, उम्र–31 साल, निवासी कुम्हारों का बास, गेमलियावास, तहसील डेगाना, जिला नागौर तथा प्रार्थी संख्या 02– गुड्डी प्रजापत पत्नी सुरेश प्रजापत पुत्री धन्नाराम, उम्र–26 साल, निवासी कुम्हारों का बास, गेमलियावास, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल निवासी बुगरड़ा तहसील जायल, जिला नागौर का संयुक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 उनकी आपसी सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है–

- प्रार्थी संख्या 01 सुरेश प्रजापत व प्रार्थी संख्या 02 गुड्डी प्रजापत के मध्य अनुष्ठापित विवाह दिनांक 05.02.2013 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ, को आज दिनांक 12.03.2026 को विघटित किया जाता है एवं प्रार्थीगण के मध्य पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद किया जाता है।
- खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
- आदेशानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय
जायल, जिला नागौर

11– आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय
जायल, जिला नागौर